

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करना

3879. श्री अरूण नेहरू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान भारत के निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है, साथ ही व्यापार अधिशेष या घाटे का ब्यौरा क्या है और इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, राज्य-वार और वर्षवार ब्यौरा दें;

(ख) भारतीय एमएसएमई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और निर्यात वित्तपोषण, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सुधारों के माध्यम से उन्हें समर्थन देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की व्यापार स्वायत्तता को मजबूत करने और हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम करने के लिए भागीदार देशों के साथ रुपया व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात तक पहुँचने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों और नीतिगत साधनों की पहचान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप हरित व्यापार गलियारों, कार्बन अनुरूप निर्यात और डिजिटल व्यापार सुविधा क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए भारत का व्यापारिक वस्तु एवं सेवा डेटा, जिसमें निर्यात आयात और परिणामी व्यापार संतुलन शामिल हैं, निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	व्यापारिक वस्तु		सेवा व्यापार		समग्र व्यापार संतुलन
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	
2020-21	291,808.48	394,435.88	206,090.74	117,524.45	(-)14,061.11
2021-22	422,004.40	613,052.05	254,527.71	147,011.98	(-)83,531.92
2022-23	451,070.00	715,968.90	325,329.70	182,046.04	(-)121,615.24
2023-24	437,072.03	678,214.77	341,062.41	178,311.82	(-)78,392.15
2024-25	437,511.75	721,320.48	387,540.49	198,716.66	(-)94,984.90

स्रोत: व्यापारिक वस्तु आंकड़े - डीजीसीआइएंडएस, सेवा आंकड़े-आरबीआइ

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक भारत का व्यापार घाटा कई संरचनात्मक और बाह्य समिष्टि आर्थिक कारकों के कारण है। इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान विशेष रूप से कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रमुख औद्योगिक निविष्टि के आयात में लगातार वृद्धि का रहा है। यह प्रवृत्ति अत्यधिक घरेलू खपत मांग और कुछ क्षेत्रों में बढ़ती घरेलू विनिर्माण क्षमता को दर्शाती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण उच्च रसद लागत, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर, वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादी उपायों की बढ़ती प्रवृत्ति और यूरोप और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में मांग में कमी जैसी वैश्विक चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ख) भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक एकीकृत करने, उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उनके वित्त पोषण तथा बाजार पहुंच की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने निर्यात ऋण, जोखिम को कम करने, डिजिटल सक्षमता और लॉजिस्टिक सुविधा के क्षेत्र में कई पहल की हैं:

- निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को पर्याप्त और किफायती निर्यात ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु, बैंकों के लिए अल्पकालिक (एसटी) संपूर्ण कारोबार-निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआइबी) कवर के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये तक की कुल निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी परिसीमा वाले निर्यातकों/समूह के लिए 90% का बढ़ा हुआ कवर।
- अपने अल्पावधि (एसटी) डब्ल्यूटी-ईसीआइबी कवर के तहत कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी निर्यात ऋण वित्त के लिए 90% बीमा कवर, उन सूक्ष्म और लघु निर्यातक खातों के संबंध में ₹10 करोड़ तक स्वीकृत कार्यशील पूंजी निर्यात ऋण परिसीमा के लिए जो किसी भी कोलैटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी देने की स्थिति में नहीं हैं, और यह सभी खंडों और वस्तुओं के लिए लागू होगा।
- बिना किसी वैकल्पिक माध्यम या मध्यस्थ की मदद के सीधे पॉलिसी लेने वाले निर्यातकों के लिए 100% तक कवर का बढ़ा हुआ प्रतिशत। इसे बैंक निर्यात ऋण देने के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, जो वैकल्पिक माध्यम या मध्यस्थ की मदद के बिना सीधे

पॉलिसी लेते हैं, एक कोलैटरल के रूप में मान सकते हैं। इससे बैंकों द्वारा स्वीकृत निर्यात ऋण के लिए कोलैटरल की आवश्यकता कम हो जाती है।

- iv. बेहतर सेवा प्रदान करने और अल्पावधि ईसीआइबी के तहत दावों के निपटाने के लिए समय में सुधार करने के लिए, निर्यातक/समूह के लिए 10 करोड़ रुपये तक के शुद्ध मूल बकाया के साथ ईसीआइबी दावों के निपटान की प्रक्रिया को दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करके सरल बनाया गया है।
- v. गैर-सहायता आधार पर निर्यात मध्यस्थता सुविधा विशेष रूप से एमएसएमई निर्माता के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, ऋण जोखिम संरक्षण, बिक्री खाता प्रबंधन और निर्यात प्राप्तियों के संग्रह सहित वित्तीय सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है, ताकि निर्यात से जुड़े जोखिमों को कम करके और वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर एमएसएमई निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा सके, जिससे एमएसएमई के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना आसान हो सके।
- vi. मध्यस्थ कंपनियों को व्यापक बाजारों में निर्यात को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा (एफसी) में निर्यात प्राप्य बीमा कवर (ईआरआइसी) के माध्यम से एनबीएफसी (फैक्टर) को समर्थन।
- vii. एमएसएमई मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आइसी) स्कीम जैसी स्कीमों के माध्यम से एमएसएमई निर्यात को सहायता प्रदान करता है, जिसमें पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) भी शामिल है, जो निर्यात से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने ए.पी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 आरबीआइ/2022-2023/90 दिनांक 11.07.2022 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये में बिल और भुगतान की अनुमति दी है। उक्त आरबीआइ परिपत्र के अनुसार, भारतीय रुपये में भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक किसी भी भागीदार देश के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। तदनुसार, भागीदार देशों के बैंक भारत में अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों से संपर्क कर सकते हैं, जो बदले में प्रक्रिया के विवरण के साथ आरबीआइ से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू और विदेशी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को संपर्ककर्ता बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने के मामलों में विभिन्न अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विदेश व्यापार नीति में भी संशोधन किए गए हैं ताकि निर्यात/आयात के बिल, भुगतान और निपटान भारतीय रुपये में किए जा सकें। आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रुपये में की गई निर्यात प्राप्तियों के लिए निर्यात लाभ प्रदान करने और निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु विदेश व्यापार नीति में भी संशोधन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सीमा पार लेन-देन के लिए भारतीय रुपया (आइएनआर) और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात

(यूएई) के साथ एक स्थानीय मुद्रा समझौता (एलसीएस) प्रणाली पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) यद्यपि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी सरकार भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र में बदलना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक हस्तक्षेपों और क्षेत्रीय सक्षमकर्ताओं को चिह्नित किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है:

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीमें-इलेक्ट्रॉनिक्स, आइटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, ऑटो और ऑटो घटक, सौर पीवी मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल सहित 14 रणनीतिक क्षेत्रों में कार्यान्वित की गईं। इन स्कीमों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, स्तर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा भारतीय उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।
- विदेश व्यापार समझौते (एफटीए) - भारत ने घरेलू हितों की रक्षा करते हुए बाज़ार पहुँच बढ़ाने हेतु एफटीए पर बातचीत करने के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है। हाल ही में लागू किए गए एफटीए में भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) (2021), भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) (2022) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) (2022) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में दो प्रमुख व्यापार समझौते संपन्न हुए हैं: भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता और भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए)। चल रही वार्ताओं में शामिल हैं:
 - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
 - भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता
 - भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता
 - भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
 - भारत-ओमान सीईपीए
 - भारत-न्यूजीलैंड एफटीए
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023-एफटीपी डिजिटलीकरण, गुणवत्ता अनुपालन और व्यापार सुगमता के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
 - केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषित प्रस्तावित निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन है। ईपीएम का उद्देश्य नकदी प्रवाह में सुधार, लेन-देन लागत में कमी और वैश्विक बाजारों तक पहुँच का विस्तार करके एमएसएमई की निर्यात संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।
 - ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि यह भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से

एमएसएमई को विस्तृत व्यापार सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से चालू है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹18,232.50 करोड़ के बजट आवंटन के साथ 10,642 टैरिफ लाइनें शामिल हैं।
- मार्च, 2019 से प्रचालित राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम, अंतर्निहित करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करके श्रम-प्रधान कपड़ा और परिधान क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देती है।
- ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) पहल का उद्देश्य भारत से सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत और समय को कम करके, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और ई-कॉमर्स वापसी या अस्वीकृति के लिए पुनः आयात को सरल बनाकर एसएमई, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करना है। ईसीईएच एक ही स्थान पर एकीकृत सेवाएँ प्रदान करेंगे, जिसमें सीमा शुल्क निकासी, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग और पतन से बाहर भंडारण शामिल हैं।
- लॉजिस्टिक और बुनियादी संरचना का विकास-आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार और लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का कार्यान्वयन।

(ड.) जी हाँ, सरकार पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे अंतरराष्ट्रीय ढाँचों के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित व्यापार गलियारों, कार्बन-अनुपालन निर्यात और डिजिटल व्यापार सुविधा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। विवरण इस प्रकार है:

- नवीकरणीय ऊर्जा घटकों, इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित हाइड्रोजन, पर्यावरण-अनुकूल वस्त्रों और जैविक वस्तुओं सहित पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद लॉजिस्टिक्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा-कुशल और कम उत्सर्जन वाले लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रमाणन सहायता और निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा सुविधा प्रदान करके भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कार्बन मानकों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीमों सहित क्षेत्रीय नीतियों के तहत सतत और कम उत्सर्जन वाले विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सरकार कागज़ रहित दस्तावेज़ीकरण, एकल-खिड़की प्रणाली और एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ा रही है। प्रमुख

पहलों में एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (यूएलआईपी), भागीदार सरकारी एजेंसियों के साथ सीमा शुल्क प्रणालियों का एकीकरण, और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी 3.0) 2024-27 का कार्यान्वयन शामिल है, जो कागज़ रहित व्यापार और तेज़ सीमा अनुपालन पर ज़ोर देती है।

इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ, डिजिटल रूप से सक्षम और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहे।
